अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– दाखिल खारिज अपील वाद संख्या – 29/2012–13

कामेश्वर पासवान बनाम अंचलाधिकारी सदर, दरभंगा।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील अपीलार्थी कामेश्वर पासवान पिता–स्व0 योगेन्द्र पासवान ग्राम–मधपुर थाना+अंचल–सदर दरभंगा ने अंचल कार्यालय सदर दरभंगा के दाखिल खरिज वाद सं0–4252/12–13 मे पारित विद्वान अंचलाधिकारी द्वारा अस्वीकृतादेश दिनांक–29.01.2013 से असंतुष्ट क्षुब्ध होकर दिनांक–20.03.2013 को दाखिल किया जिसपर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए तथा अपील वाद पत्र को दाखिल करने में हुए विलंब के समुचित करारण से संतुष्ट होकर विलंब क्षात करते हुए अपील सुनवाई हेतु दिनांक–21.03.2013 को प्रतिग्रहित की गई। यह भी विदित होता है कि अपील वाद पत्र की प्रति विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को दिनांक–20.05.2013 को सरकार की ओर से उचित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध कराई गई तथा उभय पक्षों को सुनते हुए दिनांक–20.08.2013 के आदेशानुसार अंचलाधिकारी सदर दरभंगा से मूल अभिलेख की माँग हेतु स्मार पत्र सं0–1469 दिनांक–23.08.2013 को निर्गत की गई, तदालोक में अंचलाधिकारी के पत्रांक–1325 दिनांक–24.08.2013 के माध्यम से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ जो अभिलेखबद्ध है। अपीलार्थी के अपील वाद पत्र का अनुशीलन किया तथा सरकार की ओर से विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता के मौखिक तर्क के साथ–साथ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना। स्पष्टतया मौजा मघपुर थाना नं0–303 अंचल दरभंगा सदर अन्तर्गत खाता नं0–02 खेसरा नं0–92 रकवा 16 डी0 भूमि पर अपीलार्थी का आवासीय मकान बहुत पूर्व से होना परिलक्षित होता है। परन्तु रिभिजनल सर्वे में गलती से उक्त भूमि का खतियान अकलू पासवान वगैरह के नाम प्रकाशित हो गया था।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	जिसके खिलाफ अपीलार्थी ने बन्दोवस्त पदाधिकारी दरभंगा के न्यायालय में बी0 टी0 एक्ट की धारा–106 के तहत वाद सं0–225/2003 दाखिल किया था। विद्वान बन्दोवस्त पदाधिकारी के द्वारा उक्त वाद की सुनवाई के पश्चात् खतियान में जिनका नाम पूर्व से दर्ज था उसे विलोपित करने तथा उक्त खेसरा का इन्द्राज अपीलार्थी के नाम अंकित करने का आदेश पारित किया गया। खतियान के इन्द्राज के परीशीलन से स्पष्ट है कि बन्दोवस्त पदाधिकारी के आदेश के आलोक में अपीलार्थी के नाम को इन्द्राज किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा खतियान की प्रविष्टि के आधार पर अपने नाम जमावंदी इन्द्राज कर रसीद निर्गत करने हेतु लोक सेवाओं का अधिकार के तहत अंचलाधिकारी के समक्ष दिनांक–21.01.2013 को आवेदन दिया गया, तदालोक मे दाखिल खारिज वाद सं0–4252/12–13 कायम की गई एवं विद्वान अंचलाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बगैर सुने एवं सुनने का अवसर प्रदान किए तथा बिना किसी से आपत्ति आमंत्रित किए और अनापत्ति की स्थिति में अपीलार्थी के अनुरोधावेदन को दिनांक–29.01.2013 को अस्वीकृत कर दिया गया, जो दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के सिद्धान्तों के प्रतिकुल आदेश पारित किया जाना स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। स्पष्टतया विद्वान अंचलाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अनुरोधावेदन में वर्णित तथ्यों एवं खतियान के इन्द्राज की अनदेखी करते हुए उक्त अस्वीकृतादेश पारित किया गया है जो आदेश विल्कुल Set - aside के योग्य है। चूँकि अपीलार्थी ने जो आवेदन अंचलाधिकारी को दिया था उसमे दस्तावेजी भूमि की चर्चा नही थी बल्कि खतियान की इन्द्राज की चर्चा की गई थी, जबकि अंचलाधिकारी के आदेश से विदित होता है कि उनके द्वारा यह आदेशित किया गया कि "आवेदन के साथ निबंधित केवाला नहीं दिया गया है, भूमि की जमावंदी किसके नाम से है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतएव दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत किया जाता है " जो आदेश सिद्धान्तों के प्रतिकुल है।	

11/06/14

... की ... संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	विद्वान अंचलाधिकारी को सर्वप्रथम भूमि पर दखल कब्जे की स्थिति की जाँच से संबंधित प्रतिवेदन हल्का कर्मचारी से प्राप्त की जानी चाहिए थी। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन से विदित होता है कि दखल कब्जा के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा गया है, बल्कि आवेदित तथ्यों के विपरित प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। स्पष्टतया जब हाल सर्वे खतियान में गलती से दुसरे के नाम इन्द्राज हो गया था तो जमाबंदी भी उसी के नाम निर्मित हो गया होगा और यदि नहीं हुआ होगा तो नई जमावंदी का सृजन बर्तमान खतियान के इन्द्राज के आधार पर अपीलार्थी के नाम दखल कब्जा पाकर किया जाना था जिसे विद्वान अंचलाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है जो दाखिल खारिज के सिद्धान्तों के विपरित आदेश पारित किया जाना दृष्टगोचर होता है। यहाँ तक कि अंचलाधिकारी द्वारा उक्त परिस्थिति में अपीलार्थी को सुनने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर तक प्रदान नहीं किया गया और नहीं कोई आपत्ति आमंत्रण पत्र या आम सूचना ही निर्गत की गई है। अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के अपील को मंजुर करते हुए विद्वान अंचलाधिकारी सदर दरभंगा द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–4252/12–13 में परित आदेश दिनांक–29.01. 2013 को Set - aside (निरस्त) किया जाता है। साथ ही निदेशित किया जाता है कि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के सिद्धान्तों का अक्षरशः पालन करते हुए अपीलार्थी के आवेदन पर स्वच्छ रूप से मुखर आदेश नियमानुसार प्रक्रिया के तहत पारित करेंगे। आदेश की प्रति के साथ अंचल दाखिल खारिज वाद सं0–4252/12–13 का मूल अभिलेख अंचलाधिकारी सदर दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें। लेखापित एव शुद्धित 11/06/14 11/06/14 भू0 सु0 उप समाहर्त्ता — भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा — सदर, दरभंगा।	